राजस्व वाद संख्या 225/2021
जीसीएमएस नंबर–
हरीराम बनाम् सरकार जरिये तहसीलदार जायल
एवं अखाराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 225/2021

वादीगण–

1. हरीराम दत्तक पुत्र देवाराम उर्फ देवकरण
   जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
2. अखाराम पुत्र चेनाराम
3. हजारीराम पुत्र चेनाराम
4. इन्द्रचन्द पुत्र बस्तीराम
5. श्रीकिशन पुत्र बस्तीराम
6. सुगनी पत्नी बस्तीराम जातियान जाट निवासीगण कठौती तहसील जायल
7. मैनेजर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 1 राजपैरोकार उपस्थित
4. प्रतिवादी संख्या 7 परफोंमा पक्षकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 20/10/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा कठौती तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1200 रकबा 1.7806 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1201 रकबा 1.7806, खसरा नंबर 1209 रकबा 3.3184 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1352 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1362 रकबा 0.9793 हैक्टेयर, खसरा नंबर 885 रकबा 1.2383 हैक्टेयर कुल खेताय 7 कुल रकबा 16.1468 हैक्टैयर रहती चली आई है। वादी हरीराम खातेदार देवकरण पुत्र चेनाराम के गौद पुत्र है। वादी के दत्तक पिता के नाम से दर्ज खातेदारी में वादी के दत्तक पिता के फौत होने के बाद फौतगी नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ क्यों की वादी के गौदनामा तहसील कार्यालय से पंजीयन नहीं हुआ है। वादी सीधा साधा होने व पंजीयन संबंधी जानकारी के आभाव में मात्र स्टाम्प पेपेर पर लिखा पढ़ी गौदनामें के संबंध में दिनांक 09.04.2018 को करवा ली थी। वादी के दत्तक पिता की मौत के बाद वादी का फौतगी नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया। वादी के नाम फौतगी नामान्तकरण दर्ज नहीं होने से व दत्तक पिता के हक

20/10/2024
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अधिकार होने पर भी खातेदारी भूमि में नाम दर्ज नहीं होने तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कठौती के मुतदाविया खेतायों में वादी के दत्तक पिता देवकरण उर्फ देवाराम का हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादी हरीराम दत्तक पुत्र देवकरण उर्फ देवाराम 1/4 हिस्सा में सहखातेदार घोषित किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 ने दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत कठौती में पेश राजीनाम पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। प्रतिवादी संख्या 5 से जरिये विडियो कॉलिंग कर वार्ता की गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 ने उक्त बंटवाड़े पर अपनी सहमति जाहिर की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में राजपेरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है, राजहित सुरक्षित रखा गया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 7 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह रामदेव पुत्र शिवकरण अखाराम पुत्र चेनाराम, हजारीराम पुत्र चेनाराम, सुगनी पत्नी बस्तीराम के पेश हुवे, देवकरण का मृत्यू प्रमाण पत्र , 50 रू के स्टाम्प पर दिनांक 09.04.2018 की गोद पुत्र के संबंध में लिखापढ़ी, नकल जमाबन्दी ग्राम कठौती तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 353 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 2 से 6 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 2 से 6 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 7 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20.10.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा कठौती के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से की नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा वादी हरीराम दत्तक पुत्र देवाराम उर्फ देवकरण को मौजा कठौती के खेत खसरा नं. 1200 रकबा 1.7806 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1201 रकबा 1.7806, खसरा नंबर 1209 रकबा 3.3184 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1352 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1362 रकबा 0.9793 हैक्टेयर, खसरा नंबर 885 रकबा 1.2383 हैक्टेयर कुल खेताय 7 कुल रकबा 16. 1468 हैक्टैयर की भूमि में खातेदार देवकरण उर्फ देवाराम 1/4 के स्थान पर हरीराम दत्तक पुत्र देवकरण उर्फ देवाराम 1/4 की सहखातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के साथ वाद पत्र इस्तदुआ अनुसार चाही है। अतः मौजा कठौती के खेत खसरा नंबर 1200 रकबा 1.7806 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1201 रकबा 1.7806, खसरा नंबर 1209 रकबा 3.3184 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1352 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1362 रकबा 0.9793 हैक्टेयर, खसरा नंबर 885 रकबा 1.2383 हैक्टेयर कुल खेताय 7 कुल रकबा 16.1468 हैक्टैयर में वादी हरीराम दत्तक पुत्र देवकरण उर्फ देवाराम को प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के साथ (देवाराम उर्फ देकरण 1/4 के स्थान पर) सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

यत् वादी का वाद अधीन धारा 88 राजस्थान 'काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कठौती तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 1200, 1201, 1209, 1352, 1353, 1362, 885 में देवकरण उर्फ देवाराम 1/4 के स्थान पर वादी हरीराम दत्तक पुत्र देवकरण उर्फ देवाराम को 1/4 हिस्से में सहखातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

20/10/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 225/2021

वादीगण–

1. हरीराम दत्तक पुत्र देवाराम उर्फ देवकरण जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
2. अखाराम पुत्र चेनाराम
3. हजारीराम पुत्र चेनाराम
4. इन्द्रचन्द पुत्र बस्तीराम
5. श्रीकिशन पुत्र बस्तीराम
6. सुगनी पत्नी बस्तीराम जातियान जाट निवासीगण कठौती तहसील जायल
7. मैनेजर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 1 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 2 से 6 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

यत् वादी का वाद अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कठौती तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 1200, 1201, 1209, 1352, 1353, 1362, 885 में देवकरण उर्फ देवाराम 1/4 के स्थान पर वादी हरीराम दत्तक पुत्र देवकरण उर्फ देवाराम को 1/4 हिस्से में सहखातेदार घोषित किया जाता है।

नोट–: बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। बैंक के रहन खसरान् रहन मुक्त नहीं होने तक बैंक का रहन यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

20/10/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 225 / 2021
जीसीएमएस नंबर–
हरीराम बनाम् सरकार जरिये तहसीलदार जायल
एवं अखाराम वगैरह

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...20/10/2021..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नंही, दर्ज करना चाहिये।

20/10/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner